

प्रेस नोट संख्या- 05

दिनांक 06.05.2025

सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस

थाना गौरीगंज पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 06 नफर अभियुक्त गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री हरेन्द्र कुमार के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 06.05.2025 को क्षेत्राधिकारी गौरीगंज श्री अखिलेश वर्मा के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर थाना गौरीगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 145/25 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 103(1) बीएनएस थाना गौरीगंज जनपद अमेठी में वांछित नामजद व प्रकाश में आये 06 नफर अभियुक्त 1.संतोष कुमार उर्फ शानू पुत्र छोटे लाल निवासी बलभद्रपुर थाना जामो जनपद अमेठी उम्र करीब 29 वर्ष, 2.दीपक पुत्र राम बिहारी निवासी पूरे निधान कुवर बरौलिया थाना जामो जनपद अमेठी उम्र करीब 22 वर्ष, 3.संदीप उर्फ मालिक पुत्र श्रीराम निवासी गोरियाबाद थाना जामो जनपद अमेठी उम्र करीब 23 वर्ष, 4.शिवा पुत्र रामकुमार निवासी पूरे निधान कुवर बरौलिया थाना जामो जनपद अमेठी उम्र करीब 21 वर्ष, 5.संदीप पुत्र ददन निवासी पूरे निधान कुवर बरौलिया थाना जामो जनपद अमेठी उम्र करीब 20 वर्ष, 6.हल्ला उर्फ लल्ला उर्फ तेजबहादुर पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी बलभद्रपुर थाना जामो जनपद अमेठी उम्र करीब 29 वर्ष को सुलतानपुर-लखनऊ हाइवे जामो रोड के पास से समय करीब 12:10 बजे दिन में गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त संतोष कुमार उर्फ शानू एक शातिर अपराधी है, पूर्व में भी जिसके विरुद्ध थाना जामो पर हत्या, गैंगेस्टर व आर्म्स एक्ट की धाराओं में अभियोग पंजीकृत हैं ।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक 03/04.05.2025 को लोधन की सरैया मजरे हृदयशाह में बारात में गये थे जहां खाना खाने को लेकर कुछ लोगों से विवाद व मारपीट हुई थी जिसकी रंजिश में शादी से वापस घर जा रहे दो लोगों को हम लोग डंडे से मारपीट कर भाग गये थे ।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 03/04.05.2025 की रात्रि में यूपी 112 के माध्यम से थाना गौरीगंज पर प्राप्त एक्सीडेंट की सूचना पर घायल दो व्यक्तियों आशीष और रवि को एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां से उन्हें रेफर किया गया था । इलाज के दौरान घायल दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी । दोनों युवक (मृतक) जिस बारात में सम्मिलित हुए थे वहीं पर मौजूद व्यक्तियों पर मारपीट करने और उससे मृत्यु हो जाने के संबंध में मृतक के परिजनों द्वारा थाना गौरीगंज पर तहरीर दी गई थी जिस पर तत्परता से कार्यवाही करते हुए दिनांक 04.05.2025 को 08 नामजद व अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध थाना गौरीगंज पर मु0अ0सं0 145/25 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया था । घटना के शीघ्र अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक अमेठी द्वारा संबंधित को आवश्यक आदेश/निर्देश दिये गये थे ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

1. संतोष कुमार उर्फ शानू पुत्र छोटे लाल निवासी बलभद्रपुर थाना जामो जनपद अमेठी उम्र करीब 29 वर्ष ।
2. दीपक पुत्र राम बिहारी निवासी पूरे निधान कुवर बरौलिया थाना जामो जनपद अमेठी उम्र करीब 22 वर्ष ।
3. संदीप उर्फ मालिक पुत्र श्रीराम निवासी गोरियाबाद थाना जामो जनपद अमेठी उम्र करीब 23 वर्ष ।
4. शिवा पुत्र रामकुमार निवासी पूरे निधान कुवर बरौलिया थाना जामो जनपद अमेठी उम्र करीब 21 वर्ष ।
5. संदीप पुत्र ददन निवासी पूरे निधान कुवर बरौलिया थाना जामो जनपद अमेठी उम्र करीब 20 वर्ष ।
6. हल्ला उर्फ लल्ला उर्फ तेजबहादुर पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी बलभद्रपुर थाना जामो जनपद अमेठी उम्र करीब 29 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 145/25 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 103(1) बीएनएस थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. श्री श्याम नारायण पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
2. निरीक्षक जिलेदार यादव थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
3. उ0नि0 महेन्द्र कुमार सरोज थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
4. का0 अमित प्रताप थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
5. का0 अरुण यादव थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
6. का0 आनन्द वर्मा थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
7. का0 विरेन्द्र कुमार थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
8. का0 रवि तिवारी थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
9. का0 अतुल कुमार थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।

अभियुक्त संतोष कुमार उर्फ शानू का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 153/18 धारा 302, 452 भादवि व 3(2)V एससी/एसटी एक्ट थाना जामो जनपद अमेठी ।
2. मु0अ0सं0 155/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जामो जनपद अमेठी ।
3. मु0अ0सं0 53/19 धारा 2/3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना जामो जनपद अमेठी ।